प्रैस विज्ञप्ति

दिनांक 29.04.2019

थाना अहार पुलिस द्वारा ग्राम खदाना निवासी पुष्पेन्द्र पर जानलेवा हमले की घटना मे संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना मे प्रयुक्त पल्सर मोटर साईकिल व एक तंमचा मय कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.04.2019 को वादिया श्रीमती गजेन्द्री देवी पत्नी स्व0 धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम खदाना थाना अहार बुलन्दशहर द्वारा थाना अहार पर सूचना अंकित करायी थी कि दिनांक 09.04.19 को उसका लडका पुष्पेन्द्र खेत में पानी लगा रहा था कि समय करीब प्रातः 10:30 बजे 03 अज्ञात अभियुक्तो द्वारा जान से मारने की नीयत से तंमचे से गोली मार दी गयी थी। वादिया की तहरीर के आधार पर थाना अहार पर मु0अ0सं0-44/19 धारा 307 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना मे संलिप्त अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री मनीष मिश्र के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी अनूपशहर श्री अतुल कुमार चौबे के निकट पर्यवेक्षण मे थानाध्यक्ष अहार को आवश्यक निर्देश दिये गये थे। थानाध्यक्ष अहार द्वारा गहनता से की गयी विवेचना/कार्यवाही मे उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त **1-तरूण पुत्र फतेह सिंह जाट, 2-आकाश पुत्र शेरसिंह कौरी, 3-राजू पुत्र इम्तियाज निवासीगण ग्राम सैदपुर थाना बीबीनगर बुलन्दशहर व 4-अरविन्द सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी नगला शेखू थाना खुर्जादेहात बुलन्दशहर** के नाम प्रकाश मे आये। दिनांक 28.04.19 को समय करीब 16.30 बजे थानाध्यक्ष अहार श्री शौकेन्द्र सिंह मय पुलिस फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर कहीं भागने की फिराक में खडे अभियुक्त आकाश व तरूण को सैदपुर पुलिस चौकी के पास से घटना मे प्रयुक्त पल्सर बाइक व तंमचे सहित गिरफतार करने मे सफलता प्राप्त की तथा आज दिनांक 29.04.2019 को समय करीब प्रातः 10:30 बजे अभियुक्त अरविन्द को खुर्जा में पहासू अड्डे उसकी डेयरी से गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पताः-

1- तरूण पुत्र फतेह सिंह जाट निवासी ग्राम सैदपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।

2- आकाश पुत्र शेरसिंह कौरी निवासी उपरोक्त।

3- अरविन्द सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी नगला शेखू थाना खुर्जादेहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- एक पल्सर मोटर साईकिल नम्बर यूपी-13जे-1926 (घटना मे प्रयुक्त)

2- एक तंमचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस। (घटना मे प्रयुक्त)

घटना का कारण-

अभियुक्त अरविन्द ने पूछताछ पर बताया कि उसकी शादी वर्ष-2006 मे पुष्पेन्द्र की बहन के साथ हुई थी, उसकी एक 10-वर्ष की पुत्री है। उसके बाद उसकी पत्नी को कोई सन्तान नही हुई। इसी कारण अरविन्द दूसरी शादी करना चाहता था जिसका विरोध उसके साले पुष्पेन्द्र द्वारा किया गया था तथा उसको कई बार समझाया गया था कि दूसरी शादी न करे। दूसरी शादी करने मे उसका साला पुष्पेन्द्र बाधा बन रहा था। इसी कारण अरविन्द द्वारा अपने मौसेरे भाई तरूण के साथ मिलकर अपने साले पुष्पेन्द्र को रास्ते से हटाने की योजना बनायी। अरविन्द द्वारा तरूण को पुष्पेन्द्र को रास्ते से हटाने के लिए 80,000 रूपये दिए थे। तरूण द्वारा इस घटना मे अपने गांव के दो साथी आकाश व राजू को शामिल किया तथा इस काम के लिए 20-20 हजार रूपये का लालच दिया था। दिनांक 09.04.19 को पुष्पेन्द्र अपने खेत में पानी लगा रहा था कि समय करीब 10:30 बजे तरूण अपने दोनों साथी आकाश व राजू के साथ वहां पहुंचा तथा आकाश व राजू द्वारा पुष्पेन्द्र को जान से मारने की नीयत से तंमचे से गोली मार दी थी जिससे वह घायल हो गया था। घटना मे संलिप्त शेष अभियुक्त राजू की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। उपरोक्त पंजीकृत अभियोग मे धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गयी है।

अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहार पर मुअसं-51/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री शौकेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष अहार
2. उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह
3. का0 सुधीर कुमार, का0 ललित कुमार।